

प्रमाण पत्र. सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के लेटर हेड पर जारी किया जाता है।

अनुभव प्रमाण पत्र

श्रीमती शान्ती देवी (ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम),
ग्राम प्रधान/सरपंच- ग्राम पंचायत विकास
रसड़ा जनपद
प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री श्रीमती
राजेश यादव (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
रामनिशानी यादव (पिता/माता का नाम), निवासी
प्रधानपुर (ग्राम पंचायत का नाम), जिसका
संख्या (आधार संख्या) है, ने हमारी
ग्राम पंचायत में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/प्लंबिंग
खाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये
इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए
सदायी रहूँगा/रहूँगी।

हस्ताक्षर और मुहर
ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम
शान्ती देवी
रसड़ा, जिला-बलिया (30)